न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 319/2016/225 आर टी ए

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. श्रवण पुत्र नानू जाति मेघवाल निवासी भूनावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बेगी पत्नि साहबराम जाति मेघवाल निवासी भूनावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. ओम पुत्र साहबराम जाति मेघवाल निवासी भूनावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 01.02.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 21/2016 अनवानी श्रवण बनाम स्टेट

उपस्थित :–

श्री खुशकरणसिह खोसा अधिवक्ता अपीलांट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–03.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चक 11एमडी के प.न. 158/319 मु.न. 16 कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 19, 20 की कुल 8 बीघा भूमि 1955 से पूर्व की होने का कथन करते हुए धारा 15एएए (2क) आरटीए के तहत निःशुल्क खातेदारी दिये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए निःशुल्क खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष विद्वान वकुलाय की बहस सुनी।
3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर जो रिपोर्ट तहसील से प्राप्त हुई उसमे प्रश्नगत भूमि के अलावा चक 14 एमडी व 15 एमडी व 13 केएसपी मे भी रेस्पो0 के नाम से भूमि होनी बताई है परन्तु उक्त चको की रिपोर्ट हल्का पटवारी से विचारण न्यायालय ने प्राप्त नही की बिना रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन निर्णय पारित नही किया जा सकता था। अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है जो निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि के लगातार कब्जा काश्त रेस्पो0 का होने संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हुए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। विचारण न्यायालय द्वारा प्री–55 की पत्रावली तलब किये बिना एवं लगतार कब्जा काश्त का साक्ष्य लिऐ बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कतई विधि सम्मत नही है। यदपि रिपोर्ट तहसील दिनांक 11.01.2016 मे जो भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट है उसमे

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

स्पष्ट है कि उनको प्री–55 का आवंटन है और राशि जमा है। इस कारण कानूनन अब धारा 15 एएए (2क) के तहत रेस्पो0 अप्रार्थीगण को निःशुल्क खातेदारी अधिकार किसी भी सूरत मे नही दिये जा सकते थे इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है। प्रश्नगत भूमि सम्वत 2012 से पूर्व उनके पूर्वजो के लगातार कब्जा मे होनी सिद्ध नही होती है खसरा मिलान क्षेत्रफल एवं लगतार खसरा गिरदावरी पत्रावली पर प्रस्तुत नही है इसलिये बिना किसी साक्ष्य के समस्त रेस्पो0 को खातेदारी गलत दी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि के प्री–55 के होने संबंधित कोई साक्ष्य नही था और ना ही रेस्पो0 का लगतार काबिज होने का कोई सबूत थ एवं बिना सिलिंग सीमा की जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर निःशुल्क खातेदारी गलत दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय खारिज किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है, इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे रेस्पोडेण्ट की सीलिंग सीमा से अधिक भूमि सिद्ध होती हो। अपीलांट का यह तर्क कि प्रश्नगत भूमि के अलावा चक 14 एमडी व 15 एमडी व 13 केएसपी मे भी रेस्पो0 के नाम से भूमि होनी बताई है परन्तु उक्त चको की रिपोर्ट हल्का पटवारी से विचारण न्यायालय ने प्राप्त नही की बिना रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन निर्णय पारित नही किया जा सकता था। इसके संबंध मे प्रार्थना पत्र जो तहसीलदार के समक्ष चक 14 एमडी, 15 एमडी व 13 केएसपी बी मे स्थित भूमि की तस्दीक देने हेतु किया गया जिसके अनुसार चक 14 एमडी मे 1.771 है0 भूमि जिसमे 1/8 श्रवण का, 1/48 बोगीदेवी पत्नि साहबराम व 5/48 ओमप्रकाश पुत्र साहबराम का है तथा चक 15 एमडी मे 4.983 है0 व चक 13 केएसपी मे 2.024 है0 इस प्रकार कुल 8.778 है0 भूमि है। रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ से रिपोर्ट मांगी गई जिसमे तहसीलदार अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट भिजवाई गई। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट के कब्जे में तथा पूर्व–55 की होना इस रिपोर्ट में अंकित किया गया है। अपीलांट ने बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच कर रेस्पोडेण्ट को निःशुल्क खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार के अनुसार ग्राम मुण्डा के खसरा नं. 616 मिन मे 7.12 बीघा भूमि 1955 से पूर्व की धारित भूमि है। वर्तमान अभिलेख ब के आधार पर 1955 से पूर्व की अस्थाई काश्त की भूमि रेस्पो0 बोगीदेवी पत्नि साहबराम, ओमप्रकाश पुत्र साहबराम, श्रवण पुत्र नानू चक 11 एमडी खसरा नं. 158/319 मु.न. 16 मे 2.024 है0 भूमि दर्ज है। बिन्दू सं. 9 यह अंकित किया गया है कि चक 11एमडी मे 2.024 है0 भूमि है शेष भूमि चक 14 एमडी, 15 एमडी व 13 केएसपी मे बताई गई। जिसके संबंध मे

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अपीलांट का तर्क है कि उक्त चको की भूमि बाबत कोई रिपोर्ट विचारण न्यायालय द्वारा नही मंगवाई बिना रिपोर्ट के अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्त चक 14 एमडी, 15 एमडी व 13 केएसपी के संबंध मे न्यायालय हाजा मे रेस्पो0 द्वारा उक्त चको मे स्थित भूमि की तस्दीक रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार चक 14 एमडी मे 1.771 है0 भूमि जिसमे 1/8 श्रवण का, 1/48 बोगीदेवी पत्नि साहबराम व 5/48 ओमप्रकाश पुत्र साहबराम का है तथा चक 15 एमडी मे 4.983 है0 व चक 13 केएसपी मे 2.024 है0 इस प्रकार कुल 8.778 है0 भूमि है। ऐसी स्थिति में वर्तमान स्तर पर उक्त साक्ष्यों के विपरीत पत्रावली पर अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं बनती है। जहां तक प्रश्नगत भूमि के सीलिंग सीमा से अधिक होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट का सप्रमाण गणन कथन नहीं है। किन्तु सीलिंग के संदर्भ में सक्षम अधिकारी विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अपीलांट द्वारा अपील के जरिये लगाये आक्षेप समाप्त होने के कारण तथा वर्तमान स्तर पर उक्त साक्ष्यों के विपरीत पत्रावली पर अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ